

09-11-17

पत्रावली पेश हुई। वडुलाय फरीकेन उप  
तहसीलदार - जयपुर से पत्रांक: 5264 दिनांक  
19-9-17 के संलग्न कुर्रिजात प्रस्ताव के  
क्रम में प्राप्त रिपोर्ट शामिल जिसल पत्रावली  
दिनांक 14-11-2017 कुर्रिजात प्रस्ताव रिपोर्ट के  
क्रम में पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी  
जयपुर (प्रथम), जयपुर

14-11-17

पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी / अधिवक्ता उपस्थित  
पत्रावली वास्ते कुर्रिजात रिपोर्ट / बहस दिनांक 20/11/17  
को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी  
जयपुर (प्रथम), जयपुर

बहस दिनांक 20/11/17 को पत्रावली पेश हुई  
परिणाम: अग्रणी/अन्य सबकार्य कर/बंदनास है।  
आ पत्रावली पूर्णतः दिनांक 24/11/17 में पेश हो।

24-11-17

पत्रावली पेश हुई। वादी - अधिवक्ता उपस्थित  
नहीं हो। अग्रणी संख्या 01 द्वारा लिखित  
बहस प्रकृत की गई। शामिल जिसल 24  
पत्रावली वास्ते अग्रणी आदेशान्वय दिनांक  
20/11/17 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

28/11/17

पत्रावली वास्ते आदेशान्वय प्रकृत हुई। तहसीलदार  
जयपुर से श्री नालाल्य द्वारा पारित प्रामाणिक  
डिक्री निगम दिनांक 21-6-17 के क्रम में  
तहसीलदार - जयपुर से कुर्रिजात प्रस्ताव  
प्राप्त गये थे। तहसीलदार - जयपुर  
द्वारा पत्रांक: 5264 दिनांक 19-9-17

उप खण्ड अधिकारी  
जयपुर (प्रथम), जयपुर

# फर्द अहकाम

कल्लावा

बनाम

बिरडीमन्दे नगे.

S.D.O

9/1/16 JPR

Suit 92/16

आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
--------------------	----------------------	-------------

द्वारा प्रेषित पत्र/रिपोर्ट द्वारा ज्ञात कराया है कि "सधन कावारी बस चुकी हो होने में कुरे जात प्रभाव नहीं प्रभाव मिले जा सकते हैं"। तदनुसार रिपोर्ट के अनुसार पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों/रिपोर्ट का आवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद समाप्त का वाद है तदनुसार रिपोर्ट का आधार/दस्तावेज के आधार पर वादी वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वाद कादी खारिज किया जाता है। पत्रावली में शाल-शुमार जम्मा किया है। निर्णय संश्लेषण सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
जयपुर (प्रथम), जयपुर